प्रेस नोट दिनांक 11.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटनाओं में संलिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 09.11.2026 को वादी निवासी ग्राम रैय्यापुर (गण्टेढ़ा का पुरवा), थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ अपनी पान की दुकान बंद करके मोटरसाइकिल नं0 UP 72 BV 8610 (स्प्लेंडर, काले रंग) को दुकान के बगल में खड़ी कर सामने की दुकान से अण्डा लेने चला गया। वापस आने पर मोटरसाइकिल मौके से गायब मिली। आसपास काफी तलाश करने के बाद भी मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चला। अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0-433/2026 धारा-303 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह का गजेन्द्र सिंह व का0 मंदीप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-433/2026 धारा-303 (2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अनुज ओझा पुत्र धनीराम ओझा निवासी उदयमिश्र का पुरवा,बिसहिया थाना हथिगंवा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 24 वर्ष को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बिहार रोड के पास ठकुराईन पुरवा जाने वाले रोड पर तलाब किनारे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनुज ओझा पुत्र धनीराम ओझा उम्र 24 वर्ष निवासी उदयमिश्र का पुरवा,बिसहिया थाना हथिगंवा जनपद प्रतापगढ ।

बरामदगी-
अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई।

पुलिस टीम-
उ0नि0 गोविन्द सिंह चौहान मय हमराह का गजेन्द्र सिंह व का0 मंदीप सिंह, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा- कारतूस व घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त अतुल कौशल व राहुल तिवारी को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर एवं घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद-

अभियुक्त राहुल तिवारी के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ में हत्या, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के कुल 06 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त अतुल कौशल के विरुद्ध हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के कुल 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 09.11.2026 की रात्रि वादी निवासी सड़ारी खजुरनी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में 4-5 अज्ञात व्यक्ति मुंह बांधकर घर में घुसते दिखाई दिए। इसकी सूचना मिलने पर वादी अपने भाई के साथ मौके पर जा रहा था, तभी रेलवे फाटक से पहले स्विफ्ट कार नं0 UP70GR 9298 सवार 4-5 लोगों ने उसे रोककर जान से मारने की नीयत से 2-3 राउंड फायरिंग की। वादी के अनुसार कार से उतरकर राहुल तिवारी निवासी भंगवा गांव एवं अतुल

कौशल निवासी जेठवारा गाली-गलौज करते हुए मौके से भाग गए। पूर्व में वादी के भाई एवं राहुल तिवारी के बीच कहासुनी हुई थी, जिसकी रंजिश में घटना कारित करने का आरोप है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-672/2026 धारा 109 (1) 1191 (2)/191 (3)/352/329 (3)/126 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 रमेश तिवारी मय हमराह का0 बिलास, का0 अंकित प्रजापति, का0 श्याम सुन्दर द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित वांछित 02 नफर अभियुक्तों, 1. अतुल कौशल पुत्र रमेश चंद्र कौशल निवासी ग्राम महेश गंज डेरवा बाजार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष, 2. राहुल तिवारी पुत्र राम जीत तिवारी निवासी भगवा गांव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत सैया बांध पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर एवं घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अतुल कौशल पुत्र रमेश चंद्र कौशल निवासी ग्राम महेश गंज डेरवा बाजार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष।
2. राहुल तिवारी पुत्र राम जीत तिवारी निवासी भगवा गांव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-
01- अभियुक्त राहुल तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 0096/2015, धारा- 302/34 भा0दं0सं0, थाना- बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 0259/2019, धारा- 120-B/307 भा0दं0सं0, थाना- जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 0383/2019, धारा- 307 भा0दं0सं0, थाना- जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0- 0384/2019, धारा- 25/27/3 आयुध अधिनियम, 1959, थाना- जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0- 0181/2017, धारा- 174-A भा0दं0सं0, थाना- कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0-672/2026 धारा 109 (1) /191(2)/191(3)/352/329(3)/126 (2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

02- अभियुक्त अतुल कौशल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0- 0480/2018, धारा- 25/3 आयुध अधिनियम, 1959, थाना- जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 0184/2024, धारा- 115(2)/132/351(2)/351(3)/352 बीएनएस एवं धारा 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984, थाना- जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 0033/2025, धारा- 115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस, थाना- जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0-672/2026 धारा 109 (1) /191(2)/191(3)/352/329(3)/126 (2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी:
* 01 अदद तमंचा 315 बोर 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद ।
* 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद ।
* घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रमेश तिवारी मय हमराह का0 बिलास, का0 अंकित प्रजापति, का0 श्याम सुन्दर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त दीपक सरोज को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे गंगाराम मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 नन्दलाल मय हमराह का0 आशीष गुप्ता, का0 विजय प्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/352/351 (3) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त दीपक सरोज पुत्र माताप्रसाद सरोज नि0 ग्राम छतऊ का पुरवा ढिंगौसी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे गंगाराम मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. दीपक सरोज पुत्र माताप्रसाद सरोज नि0 ग्राम छतऊ का पुरवा ढिंगौसी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 29 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 नन्दलाल मय हमराह का0 आशीष गुप्ता, का0 विजय प्रकाश, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गंभीर चोट पहुँचाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त सौरभ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारागंभीर चोट पहुँचाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त सौरभ को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.10.2025 को ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में जमीन के लेन-देन एवं ग्राम समाज की भूमि पर कब्जेदारी को लेकर तीन पक्षों के मध्य विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों द्वारा मारपीट, गाली-गलौज एवं एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। उक्त घटना में ग्राम प्रधान शाहपुर विजय कुमार पुत्र स्व0 रामलाल द्वारा लोगों को उकसाने का आरोप है। तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 393/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3) बीएनएस में पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशांत राज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, तलाश वांछित अभियुक्तगण, पेण्डिंग विवेचना, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 393/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(3) भा0न्या0सं0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सौरभ पुत्र सन्तोष उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शाहपुर में उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सौरभ पुत्र सन्तोष उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह का0 राजकिशोर चौहान थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मांधाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांधाता पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय एसीजेएम-13, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (NBW), मु0अ0सं0 303A/92 धारा 323/324/325/504 भादवि, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त मुख्तार अहमद पुत्र अजीज निवासी ग्राम कोहला, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम कोहला स्थित उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
1. मुख्तार अहमद पुत्र अजीज निवासी ग्राम कोहला, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:
उ0नि0 सुभाष चन्द्र सिंह मय हमराह का0 हरिपाल व का0 सर्वेश पाण्डेय, थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी के सामान सहित 03 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिए गए।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। कब्जे एवं निशानदेही पर चोरी के आभूषण, इन्वर्टर, बैट्री, एलईडी टीवी, पीतल के बर्तन सहित अन्य सामान बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम पूरे बदलू, मजरे मुस्तफाबाद, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनके जीजा का मकान ग्राम महमूदपुर, थाना उदयपुर में स्थित है, जिसकी देखरेख

वादी द्वारा की जाती है। दीपावली से पूर्व वादी अपने गांव चला गया था। दिनांक 09.11.2026 को वापस आने पर मकान का ताला टूटा हुआ मिला तथा घर से इन्वर्टर, बैट्री, एलईडी टीवी, चांदी के आभूषण एवं पीतल के बर्तन सहित अन्य सामान अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 208/2026 धारा 305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीपनारायण के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराह हे0का0 विनोद कुमार, का0 प्रदीप कुमार यादव एवं का0 मनीष कुमार द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं चोरी की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 11.11.2026 को थाना क्षेत्रान्तर्गत रांकी मोड़ के पास से 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

तलाशी में उनके कब्जे से चोरी के चांदी एवं सफेद धातु के आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में उनके द्वारा चोरी की घटना स्वीकार करते हुए शेष सामान नेताजी सुभाष चन्द्र इंटर कॉलेज, मुस्तफाबाद की दक्षिणी चाहरदीवारी के पास छिपाकर रखना बताया गया, जिसे उनकी निशानदेही पर बरामद किया गया।

बाल अपचारियों का विवरण-
1. 01 बाल अपचारी, निवासी ग्राम नीलकंठ का पुरवा, मजरे मुस्तफाबाद, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. 01 बाल अपचारी, निवासी ग्राम बहादुरपुर, मजरे मुस्तफाबाद, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. 01 बाल अपचारी, निवासी ग्राम माधोगंज, मजरे मुस्तफाबाद, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-
बाल अपचारियों के कब्जे एवं निशानदेही पर 01 अदद सफेद धातु की चादर, 02 अदद सफेद धातु के कान के झुमके, 01 अदद सफेद धातु की बिछिया, 01 अदद चांदी का सिक्का, 01 अदद सफेद धातु की अंगूठी, 01 अदद सफेद धातु का मंगलसूत्र, 01 अदद माइक्रोटेक कम्पनी का इन्वर्टर, 01 अदद पावरगार्ड कम्पनी की बैट्री, 01 अदद सैमसंग कम्पनी की

एलईडी टीवी, 02 अदद पीतल के लोटे, 01 अदद यूनाइटेड कम्पनी का प्रेशर कुकर, 01 अदद पीतल का परात एवं 01 अदद जस्ता की कड़ाही बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 331(4)/317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में बाल अपचारियों द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.11.2026 की रात्रि करीब 11 बजे ग्राम महमूदपुर स्थित मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना कारित की गई थी। चोरी किए गए सामान में से कुछ आभूषण अपने पास रख लिए थे तथा शेष सामान नेताजी सुभाष चन्द्र इंटर कॉलेज, मुस्तफाबाद की दक्षिणी चाहरदीवारी के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। उक्त सामान को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 घनश्याम यादव, हे0का0 विनोद कुमार, का0 प्रदीप कुमार यादव एवं का0 मनीष कुमार, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मारपीट एवं अन्य धाराओं के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 24.10.2025 को ग्राम शाहपुर में पैसे के लेन-देन एवं ग्राम समाज की भूमि को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद के बाद मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई थीं। स्थानीय पुलिस द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 393/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(3) बीएनएस बनाम 21 नामजद व 05-06 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह का0 राजकिशोर चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, जाँच प्रार्थना पत्र,

चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, तलाश वांछित अभियुक्तगण, पेण्डिंग विवेचना के दौरान मु0अ0सं0 393/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त सौरभ पुत्र संतोष उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 10.11.2026 को उसके घर के दरवाजे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सौरभ पुत्र संतोष उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम--
उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह का0 राजकिशोर चौहान, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।